



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092023-248667
CG-DL-E-13092023-248667

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3822]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 2023/भाद्र 21, 1945

No. 3822]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2023/BHADRA 21, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2023

(आयकर)

का.आ. 3984(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उप-धारा (23डग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई द्वारा स्थापित मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इन्वेस्टर (क्लाइंट) प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 77 /2023/ फा. सं.173/105/2013-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

स्पष्टीकरण ज्ञापन : प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2023

(INCOME TAX)

S.O. 3984(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (23EC) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the Multi Commodity Exchange Investor (Client) Protection Fund Trust set up by Multi Commodity Exchange of India Limited, Mumbai for the purposes of the said clause for the assessment year 2014-15.

[Notification No.77 /2023/ F. No. 173/105/2013-ITA-1]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.